न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर. लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R5247-II-115

Rs.301/-

नितिन सेन पिता स्व0 रमेश सेन उम्र 30 वर्ष पेशा व्यवसाय, निवासी कोलगंवा सतना. तह0 रघुराज नगर, जिला सतना (म0प्र0) ....अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला पंजियक सतना (म0प्र0) ....रेस्पान्डेट

श्री ...केलाश सेन... एड द्वारा आज दिनांक 21-12-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अपील विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रथम अपील क्रमाक 561/अपील 2014–15 मे <u>पारित आदेश दिनांक 27.11.2015</u>

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 47–ए (5) <u>इण्डियन स्टैम्प ऐक्ट 1899</u>

मान्यवर,

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील का विवरण निम्नलिखित है:–

01.	अपीलार्थी का पूरा नाम पिता का नाम, व्यवसाय व पता	नितिन सेन तनय स्व0 रमेश सेन पेशा व्यवसाय, निवासी कोलगवां सतना, तह0 रघुराज नगर, जिला सतना (म0प्र0)
02.	दस्तावेज के निष्पादक का एवं उसके पिता/पति का नाम तथा व्यवसाय व पता	1.भागवत प्रसाद ब्रा0 तनय स्व.महेश प्रसाद 2.मुस.गोलिया पत्नी स्व.महेश प्रसाद 3.लक्ष्मी प्रसाद ब्रा0 तनय कमला प्रसाद तीनो निवासी ग्राम कृपालपुर तह0 रघुराज नगर, जिला सतना (म0प्र0)
03.	प्रश्नाधीन दस्तावेज के धारक का नाम, पिता का नाम व्यवसाय	नितिन सेन तनय स्व0 रमेश सेन पेशा व्यवसाय, निवासी कोलगवां सतना, तह0 रघुराज नगर, जिला सतना (म0 प्र0)
04.	दस्तावेज के निष्पादन का दिनांक एवं प्रकृति	निष्पादन दिनांक 05.01.1996 दस्तावेज की प्रकृति– विक्रय का अनुबन्ध पत्र
05.	दस्तावेज के पंजियन की तारीख एवं पंजियनकर्ता अधिकारी का विवरण	कलेक्टर ऑफ स्टैम्प जिला सतना म0प्र0 के द्वारा प्रकरण क्र0 07 बी–103/2014--15 मे दस्तावेज दिनांक 05.01.1996 को इम्पाउन्ड करने का पारित आदेश दिनांक 26.02.2015

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5247/II/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.2.16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर ग्राह्यता पर सुना गया। उनके द्वारा मेमो के आधार पर निर्णय हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के निर्धारण से संबंधित है। वाद विषय 8.12 एकड़ भूमि के विक्रय से संबंधित है, जिससे संबंधित विक्रय पत्र को मुद्रांकित कर पंजीकृत नहीं कराया गया। अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि. 27.11.15 में यह स्पष्ट लिखा है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश, सतना के न्यायालयीन व्यवहार वाद क्र.-54A/0112 के प्रकाश में इस विक्रय से संबंधित इकरारनामे को मुद्रांक शुल्क, शास्ती आदि लगाकर इम्पाउण्ड करने की कार्यवाही कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प द्वारा की गई, जहाँ उन्होंने भूमि का बाज़ार मूल्य आंकलित करके मुद्रांक शुल्क और शास्ती अधिरोपित की है। - आवेदक द्वारा यह कहा जाना कि विक्रय हेतु इकरारनामा वर्ष 1997 में (दि. 29.3.97 को) हुआ था, अत: उसके द्वारा बताए जा रहे मूल्य के आधार पर मुद्रांक	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदि की गणना की जाए, उपयुक्त नहीं है क्योंकि (1) सौ रुपए से अधिक की स्थावर सम्पत्ती का मुद्रांकन और पंजीयन अनिवार्य है, (2) ऐसा मुद्रांकन और पंजीयन कर इम्पाउण्ड किया जाना, विक्रय संव्यवहार को पूर्ण माने जाने के लिये, ज़रूरी है, तथा (3) चूंकि विक्रय इम्पाउण्ड किए जाने की दिनांक को ही पूर्ण एवं सम्पादित माना जा सकता है, अतः सम्पत्ती के बाज़ार मूल्य की गणना विक्रय यानि इम्पाउण्डिंग की दिनांक को ही गणित की जाएगी।	
	स्पष्ट है कि विक्रीत सम्पत्ती का बाज़ार मूल्य कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स ने विधिवत् निर्धारित किया है, क्योंकि उसे अपर आयुक्त ने सही माना है, और इसके विक्रय/इम्पाउण्डिंग की दिनांक को गलत गणित होने के सम्बन्ध में कोई भी ठोस और मान्य किए जाने योग्य आधार आवेदक की ओर से मेमो या तर्क के साथ प्रस्तुत नहीं हो पाया है।	
[signature]	अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि. 27.11.15 स्व-स्पष्ट	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5247/II/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं पूर्ण है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स का दायित्व है कि वे मुद्रांक, पंजीयन शुल्क आदि के अपवंचन को रोके और शासकीय राजस्व वसूलें, जिसके लिए उन्होंने योग्य कार्यवाही की है। उपरोक्त समस्त विवेचना और विधिक एवं तथ्यात्मक आधारों पर यह निगरानी इसी प्रक्रम पर अग्राह्य करके खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि. 27-11-15 तथा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प्स का आदेश दि. 26-2-15, विधि अनुकूल पाए जाने से स्थिर रखे जाते हैं।	

R-5247-II/15 स्थायी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश पारित । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण समाप्त । दा. द. हो । 10.2.16 (सदस्य)	